



समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

समस्त आर.सी.एच.ओ.।

समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/समस्त हैलथ मैनेजर।

**विषय :- कायाकल्प कार्यक्रम का वित्तीय वर्ष 2018-19 में संचालन के सम्बन्ध में।**

आपको विदित है कि स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक राष्ट्रीय पहल अर्थात् "कायाकल्प पुरस्कार कार्यक्रम" का वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुभारम्भ किया। इसका मुख्य उद्देश्य साफ सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

संलग्न चैक लिस्ट के अनुसार आपको प्रथम तथा द्वितीय असेसमेंट स्वयं के स्तर पर करना है तथा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा आपका Peer Assessment एवं इसके पश्चात राज्य स्तर द्वारा External Assessment किया जायेगा।

निर्धारित की गयी समय सीमा के अनुसार जिला स्तरीय अवार्ड नोमीनेशन कमेटी की दो बैठक करवाई जायेगी जिसके माध्यम से चिकित्सा संस्थानों का Peer Assessment एवं External Assessment का स्कोर राज्य स्तरीय अवार्ड कमेटी को भिजवाया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा संशोधित कायाकल्प गाइड लाईन के अनुसार 6 के स्थान पर 7 Thematic Area जिसमें G. Beyond Hospital Boundary (जिसके अन्तर्गत जिला अस्पताल/सैटेलाइट अस्पताल/उप जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 10 standard तथा 50 checkpoint एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु 6 standard तथा 30 checkpoint) को सम्मिलित किया गया है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि निम्नांकित समय सूची एवं संशोधित गाइड लाईन के अनुसार कार्यक्रम को संचालित करें। सभी स्वास्थ्य संस्थान समस्त असेसमेंट रिपोर्ट कायाकल्प पोर्टल में भरवाया जाना सुनिश्चित करें। सभी स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पोर्टल में रिपोर्ट भरवाने हेतु राज्य स्तर से ID & password मई माह के अन्त तक उपलब्ध करवा दिये जायेंगे।

क्र.सं	असेसमेंट	समय सीमा
1.	First Internal Assessment and Gap closure	25 मई 2018
2.	Second Internal Assessment	30 जून 2018
3.	Peer Assessment	31 अगस्त 2018
4.	First Committee Meeting	30 सितम्बर 2018
5.	Second Committee Meeting	31 दिसम्बर 2018
6.	External Assessment	30 नवम्बर 2018

**नोट:-**


1. मेडिकल कॉलेजो से सम्बद्ध जिला अस्पतालों जयपुरियां, कांवटियां, झालावाड़, पावटा (जोधपुर), उदयपुर, बीकानेर तथा कोटा में यह कार्यक्रम संचालित नहीं किया जायेगा।
2. समस्त उप जिला अस्पतालों, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में यह कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।
3. सैटेलाइट अस्पताल कालाकुआँ (अलवर) तथा शाहपुरा (भीलवाड़ा) में ही यह कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।

**पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।**

संलग्न :-1. कायाकल्प चैक लिस्ट


2. SQAC meeting minutes क्रमांक 424 dt. 19.02.2018

3. परीपत्र क्रमांक 374 दिनांक 22.01.2017

  
आसन सचिव  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निदेशक जन स्वास्थ्य / आर.सी.एच. / SIHFW।
5. समस्त जिला कलेक्टर को भेज कर लेख है कि अपने जिले की जिला स्तरीय अवार्ड कमेटी की बैठक निर्धारित समय सीमा में किया जाना सुनिश्चित करवाए।
6. निजी सहायक, परियोजना निदेशक एन.एच.एम.।
7. निदेशक वित्त, एन.एच.एम.।
8. राज्य नोडल अधिकारी, क्वालिटी ऐश्योरेन्स।
9. सहायक निदेशक, आयुष (ayush\_nrhм@yahoo.co.in)।
10. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, एनआरएचएम।
11. समस्त संयुक्त निदेशक को भेज कर लेख है कि अपने जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त समय सूची के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम का संचालन करवाना तथा उनका निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेज कर लेख है कि अपने जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त समय सूची के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम का संचालन करवाना तथा उनका निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल / उपजिला अस्पताल।
14. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सैटलाइट अस्पताल कालाकुआँ (अलवर) / शाहपुरा (भीलवाडा)।
15. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी को भेज कर लेख है कि अपने जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त समय सूची के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम का संचालन करवाना तथा उनका निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।
16. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण)।
17. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक को भेजकर लेख है कि वे जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में उक्त समय सूची के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम का संचालन करवाये एवं समस्त स्वास्थ्य संस्थानों की असेसमेंट रिपोर्ट कायाकल्प पोर्टल पर भरवाना सुनिश्चित करे।
18. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक- NUHM (Co-NUHM) को भेजकर लेख है कि जिन जिलों में हेल्थ मैनेजर नहीं है उन जिलों के जिला अस्पताल / उप जिला अस्पताल / सैटलाइट अस्पताल / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त समय सूची के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम का संचालन करवाये एवं समस्त स्वास्थ्य संस्थानों की असेसमेंट रिपोर्ट कायाकल्प पोर्टल पर भरवाना सुनिश्चित करे।
19. समस्त Health Manager को भेज कर लेख है कि जिले के जिला अस्पताल / उप जिला अस्पताल / सैटलाइट अस्पताल / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त समय सूची के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम का संचालन करवाये एवं असेसमेंट रिपोर्ट कायाकल्प पोर्टल पर भरवाना सुनिश्चित करे।
20. समस्त ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि वे संबन्धित स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त समय सूची के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम का संचालन करवाना सुनिश्चित करें।
21. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
22. समस्त आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के Mo-Ayush (नोडल अधिकारी कायाकल्प) को भेजकर लेख है कि वे संबन्धित आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उक्त समय सूची के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम का संचालन करवाये एवं असेसमेंट रिपोर्ट कायाकल्प पोर्टल पर भरवाना सुनिश्चित करे।
23. समस्त PHM-NUHM (नोडल अधिकारी कायाकल्प) को भेजकर लेख है कि वे संबन्धित ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को छोड़कर) में उक्त समय सूची के अनुसार कायाकल्प कार्यक्रम का संचालन करवाये एवं असेसमेंट रिपोर्ट कायाकल्प पोर्टल पर भरवाना सुनिश्चित करे।
24. समस्त ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक।
25. प्रभारी सर्वर रूम।

  
 शासन सचिव  
 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. एवं  
 मिशन निदेशक, एनएचएम



**Government of Rajasthan**  
**National Health Mission, Rajasthan**  
**Department of Medical, Health & FW, Swasthya Bhawan, Jaipur.**  
Tel. No. 0141-5110731, E mail ID : kayakalp.raj@gmail.com

F.No. F 50 (2)NHM/QA/2017/ 424

Date: 19/2/18


Meeting minutes

A meeting of the **State Quality Assurance Committee** was held under the chairmanship of Additional Chief Secretary, Medical, Health & FW Department on 12.02.2018 at 3:00 pm in room no 311, IIIrd floor, NHM Building, Swasthya Bhawan Jaipur . Following decisions were taken in the meeting:

1. Dr. Rambabu Jaiswal , SNO – QA welcomed everyone and gave a brief on the action taken report of the previous meeting and progress of the Quality assurance programme made in the year 2017-18.
2. It was discussed in the meeting that BMW rules 2016 training should be disseminated to all health facilities including PHCs and sub-centres. Also, as per Government Of India instructions regarding Barcode system in BMW rules 2016 should be implemented at all health facilities before 28<sup>th</sup> March'18, therefore, Additional Director Hospital Administration was instructed to implement the same. (Responsibility: Add. Dir. HA)
3. It was decided in the meeting that the health manager posted at District Hospital will be responsible for implementation of the Quality assurance/Kayakalp programme at all selected health facilities of the districts. Health managers were, therefore, instructed to do monthly mentoring and monitoring of atleast 2 selected health facility of the district in a month and submit the monthly report of the same to State Quality cell. Also, Public Health Manager NUHM will be responsible for implementation of the Quality assurance/Kayakalp programme at all selected PHCs (both rural and urban). (Responsibility: State Quality Cell/CO-NUHM/Health Manager/ Public Health Manager NUHM).
4. For the next year 2018-19, it was decided by committee that District Hospital Chittorgarh and Beawer (Ajmer) and SDH Kotputli (Jaipur I) should be assessed and mentored so that they can be nominated to GOI for NQAS certification. (Responsibility: State Quality Cell)
5. For resolving the cleanliness issues in public health facilities under the Government of Rajasthan, Director PH and Add. Dir. HA was asked to refer to performance-based

contracting on PPP mode for cleaning and gardening services taken up by Uttar Pradesh state. (Responsibility: Director PH and Add. Dir. HA)

6. Consultant Quality Assurance & Quality Improvement were instructed to visit Model Health district selected facility of Chittorgarh and Udaipur to monitor the progress made under the program. (Responsibility: Consultant QA & QI)


  
Secretary  
Medical, Health & FW  
Mission Director-NHM

F 50 (2) NHM/QA/2017/ 424

Copy to:-

Date: 19/2/18

1. PA to ACS, MH &FW, Rajasthan.
2. PA to Secretary, MH & FW & MD – NHM
3. PA to AMD - NHM
4. Director PH/RCH/SIHFV.
5. All District Collector- District Quality Assurance Committee chairperson
6. Add. Director Admin , Medical & Health.
7. Add. Director Medical Education.
8. PD-NHM
9. State Nodal Officer QA & Kayakalp
10. SPM-NHM
11. PD FW
12. PD MH
13. PD CH
14. Joint Directors-All Zones.
15. State Demographer Cell Medical & Health
16. CM&HO Jaipur II
17. Medical Superintendent Fortis Hospital, Jaipur.
18. Dr. R K Jainav, Professor & Head SMS, Jaipur.
19. Dr. Suman Mehndiratta , Professor (Gyne), Zanana Hospital, Jaipur.
20. Dr. P R Sodani, Prof IIMR
21. Dr. Umesh Sharma, PMO, District Hospital, Sawai Madhopur
22. Dr. G.I. Gupta, JS, (Anest), HBK Hospital, Jaipur
23. Dr. Gaurav,JS (MD-Peardia) Jaipuria Hospital, Jaipur
24. All CMHO – District Quality Assurance Committee Member Secretary
25. All Dy./Add. CMHO (F.W.)- District Quality Assurance Committee Convenor
26. All PMOs
27. All RCHO
28. Dr. Rati Ram Yadav, MOI, SDH, Kotputli, Jaipur
29. Dr. Manish, MOI, CHC-Chaksu
30. Dr. Alok Soni, MO/IC, PHC Jhilai, Distt. Tonk
31. Mr. Ram Kishan Verma, Nursing Superintendent, SDH-Kishangarh (Ajmer)
32. Consultant Legal
33. Consultant NUHM (QA)
34. Vinny Arora, Consultant NHSRC (vinnyarora24@gmail.com)
35. Representative UNICEF & UNFPA
36. CO-IT to email all concerned

  
State Nodal Officer



राजस्थान  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान,  
चिकित्सा, एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,  
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141-5110731, E mail ID : kayakalp.raj@gmail.com

क्रमांक:- F 50 (2) NHM/QA/2017/374

दिनांक:- 22/12/17

### परिपत्र

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.),  
समस्त आर.सी.एच.ओ.,  
समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक।

जैसा कि आपको विदित है कि स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक राष्ट्रीय पहल अर्थात् "कायाकल्प पुरस्कार कार्यक्रम" (Kayakalp Programme) का वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुभारम्भ किया। इसका मुख्य उद्देश्य साफ सफाई, स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को बढ़ावा देना है। साथ ही गुणवत्ता मापदण्डों का निर्धारण, सेवाओं का मूल्यांकन एवं गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु भारत सरकार द्वारा "गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम" (Quality Assurance) कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जिससे कि सेवाओं को प्रभावी एवं सुरक्षित बनाया जा सके।


दोनों ही कार्यक्रमों के संबंध में पूर्व में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों को अवेयरनेस तथा सर्विस प्रोवाइडर ट्रेनिंग जिला स्तर पर दी जा चुकी है। इस हेतु स्वास्थ्य संस्थान स्तर पर क्वालिटी अश्योरेंस कार्यक्रम के तहत Internal Quality Team एवं कायाकल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत Infection Control Committee बनवाई गई है। दोनों ही कार्यक्रमों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा कार्य किया जाना है।

आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दोनों ही कार्यक्रमों का सुचारु रूप से संचालन नहीं होने एवं आवंटित बजट के विरुद्ध व्यय की स्थिति में अत्यधिक कम होने के कारण इसे गंभीरता से लिया गया है। अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत आयुष चिकित्सक एवं नोडल अधिकारी के रूप में उक्त कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना सुनिश्चित करेंगे।

परिपत्र के साथ दोनों ही कार्यक्रमों से संबंधित चैकलिस्ट, स्वीकृत बजट एवं कार्यक्रम के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। किसी भी तरह की जानकारी के लिए तथा आप जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) (नोडल अधिकारी क्वालिटी अश्योरेंस)/आर.सी.एच.ओ. (नोडल अधिकारी कायाकल्प) एवं संबंधित का असहयोग होने पर राज्य स्तर पर स्टेट नोडल ऑफिसर एवं कन्सलटेंट क्वालिटी अश्योरेंस एवं कायाकल्प (टेलीफोन नं. 0141-5110731 एवं Email-ID: kayakalp.raj@gmail.com) से सम्पर्क कर सकते हैं।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न - उक्तानुसार

  
शासन सचिव  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. एवं  
मिश्र निदेशक, एनएचएम